ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 198-202**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

साइबर अपराध में महिलाओं की संलिप्तता और मुख्यधारा मीडिया की रिपोर्टिंग प्रवृत्तियाँः एक अध्ययन

1. डॉ0 धनेश जोशी
2. संजीव खुद्शाह

1. एसोसिएट प्रोफेसर, 2. शोध अध्येता, पत्रकरिता एवं जनसंचार विभाग, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भिलाई (छत्तीसगढ़) भारत

Received-23.05.2025, Revised-30.05.2025, Accepted-05.06.2025 **E-mail : drdhaneshjoshi@gmail.com**

सारांशः ***वर्तमान डिजिटल युग में साइबर क्राइम की घटनाओं में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। परंपरागत रूप से साइबर अपराधों को पुरुषों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में महिलाओं की संलिप्तता भी एक महत्वपूर्ण विमर्श के रूप में उभरी है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य साइबर क्राइम में महिलाओं की भागीदारी के स्वरूप, प्रकार तथा उनकी संलिप्तता के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का विश्लेषण करना है। वर्तमान डिजिटल युग में साइबर क्राइम का स्वरूप दिन–प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी एक नई और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में उभर कर सामने आई है। यह शोध पत्र साइबर अपराधों में महिलाओं की संलिप्तता तथा मुख्यधारा मीडिया द्वारा उनके प्रस्तुतिकरण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है।***

जहाँ एक ओर महिलाएं साइबर अपराधों की शिकार बनती रही हैं, वहीं दूसरी ओर वे अब कुछ मामलों में अपराधी के रूप में भी सामने आ रही हैं। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि महिलाएं किस प्रकार के साइबर अपराधों में संलग्न पाई जाती हैं। वही मीडिया इन मामलों को किस प्रकार प्रस्तुत करता है? क्या इस तरह की रिपोर्टिंग निष्पक्ष होती है? या उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह निहित होता है? का अध्ययन भी शोध में किया जाना है। साथ ही, यह शोध मुख्यधारा मीडिया की रिपोर्टिंग प्रवृत्तियों का भी अध्ययन करता है कि किस प्रकार मीडिया महिला अपराधियों को प्रस्तुत करता है। क्या मीडिया की दृष्टि में कोई लैंगिक पूर्वाग्रह है? और क्या महिला अपराधियों के प्रति दृष्टिकोण पुरुषों की तुलना में भिन्न है? का अध्ययन भी शोध में किया जाना है। इस अध्ययन में समाचार पत्रों, टेलीविजन रिपोर्टों, डिजिटल मीडिया लेखों और केस स्टडीज़ का विश्लेषण किया जाएगा। शोध अध्ययन से यह ज्ञात किया जायेगा कि क्या मीडिया महिला साइबर अपराधियों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है या सनसनीखेज ढंग से?

अंततः, यह अध्ययन साइबर अपराध और मीडिया विमर्श में लैंगिक संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह शोध समाज में व्याप्त लैंगिक दृष्टिकोण, मीडिया की भूमिका और डिजिटल अपराध की बदलती प्रकृति को समझने का एक प्रयास है, जो आगे नीति निर्माण, मीडिया उत्तरदायित्व और साइबर अपराध नियंत्रण की दिशा में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

कुंजीभूत शब्द– प्रिंट मीडिया, भारतीय समाज, साइबर अपराध, मीडिया प्रस्तुती, महिला अपराधी, सामाजिक प्रभाव, नीति निर्माण।

प्रस्तावना– 21वीं शताब्दी में डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इंटरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तीव्र प्रसार ने जहां सूचना और संचार को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराधों की एक नई दुनिया को भी जन्म दिया है। साइबर क्राइम अब न केवल तकनीकी चुनौती बन चुका है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी एक गहरी चिंता का विषय बन गया है। परंपरागत रूप से साइबर अपराधों को पुरुष प्रधान गतिविधि माना जाता रहा है। किंतु हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति बदलती दिख रही है। महिलाओं की भी इस क्षेत्र में भागीदारी सामने आई है। कभी अपराध की शिकार के रूप में, और कभी–कभी अपराधी के रूप में भी।

डिजिटल युग में साइबर अपराध सामाजिक संरचना को चुनौती दे रहे हैं। जहाँ इन अपराधों को अक्सर पुरुष प्रधान माना गया है, वहीं अब महिलाओं की भी इसमें बढ़ती संलिप्तता देखी जा रही है। यह परिवर्तन शोध के लिए एक नया क्षेत्र प्रस्तुत करता है, विशेषकर जब मुख्यधारा मीडिया की भूमिका को भी समावेश किया जाए। मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण निर्माण का एक शक्तिशाली औजार भी है। इस शोध में यह विश्लेषण किया जाएगा कि साइबर अपराध में महिलाओं की भागीदारी का स्वरूप क्या है और मीडिया कैसे इन मामलों को रिपोर्ट करता है। महिलाओं द्वारा किए जा रहे साइबर अपराधों की प्रकृति अक्सर पारंपरिक अपराधों से भिन्न होती है। ये अपराध कभी–कभी भावनात्मक, मानसिक अथवा आर्थिक दबावों के परिणामस्वरूप होते हैं, और कभी–कभी व्यक्तिगत लाभ, बदला या सामाजिक दबावों के चलते। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि इन अपराधों की पृष्ठभूमि, प्रेरक कारक, और उनकी सामाजिक स्वीकृति की जटिलता को गहराई से समझा जाए।

इसी संदर्भ में मुख्यधारा मीडिया (प्रिंट, टीवी और डिजिटल) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया न केवल घटनाओं की जानकारी देता है, बल्कि वह समाज की सोच, दृष्टिकोण और निर्णय प्रक्रिया को भी आकार देता है। जब कोई महिला साइबर अपराध में लिप्त पाई जाती है, तो मीडिया उस घटना को कैसे प्रस्तुत करता है? क्या रिपोर्टिंग में निष्पक्षता बरती जाती है या उसमें किसी प्रकार का लैंगिक पूर्वाग्रह दिखाई देता है? क्या महिला अपराधियों को ष्पीड़िताष् ष्भ्रमित नारीष् या ष्प्रेम में ठगी गईष् जैसे रूढ़िगत ढांचों में प्रस्तुत किया जाता है? यह शोध इन्हीं प्रश्नों की गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन न केवल महिला अपराधियों के बढ़ते साइबर संलिप्तता के पैटर्न को उजागर करेगा, बल्कि मीडिया की रिपोर्टिंग प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर सामाजिक धारणाओं और जेंडर बायस को भी चिन्हित करेगा। इस प्रकार यह शोध सामाजिक विमर्श, मीडिया नैतिकता और लैंगिक न्याय की दिशा में एक सार्थक योगदान देने की संभावना रखता है

शोध विषय की पृष्ठभूमि– वर्तमान समय में संचार और सूचना तकनीक की तीव्र प्रगति ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के निरंतर विस्तार ने जहां एक ओर मानव जीवन को सहज और वैश्विक बनाया है, वहीं दूसरी ओर अपराध के नए आयामों को भी जन्म दिया है। इन अपराधों में सबसे जटिल और तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है– "साइबर अपराध"।

महिलाओं द्वारा किए जा रहे साइबर अपराधों में सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी प्रोफाइल बनाना, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, साइबर बुलिंग, डेटा चोरी, और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे अपराध शामिल हैं। इन अपराधों के पीछे के कारण जटिल हैं।

इन घटनाओं की रिपोर्टिंग में मुख्यधारा मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया न केवल घटनाओं की जानकारी देता है, बल्कि वह समाज की मानसिकता और दृष्टिकोण को भी आकार देता है। विशेषकर जब अपराधी महिला हो, तो रिपोर्टिंग के लैंगिक दृष्टिकोण पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। क्या महिला अपराधियों को भी पुरुषों के समान दायरे में देखा जाता है, या उनके लिए एक अलग नैतिक फ्रेमवर्क अपनाया जाता है? कई बार देखा गया है कि मीडिया महिला अपराधियों को प्रेम में धोखा

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

खाई, समाज से ठुकराई हुई, या मासूम लेकिन फँसी हुई छवि के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे अपराध की गंभीरता पर पर्दा पड़ जाता है और एक लैंगिक पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। इससे न्याय व्यवस्था, समाज और महिला अधिकारों तीनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

साइबर अपराध में महिलाओं की भूमिका का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण– साइबर क्राइम आधुनिक समाज की सबसे जटिल और तेजी से विकसित होती हुई, अपराध प्रवृत्तियों में से एक है। डिजिटल युग ने जहां लोगों को नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं यह नए प्रकार के सामाजिक जोखिमों को भी जन्म दिया है। परंपरागत रूप से महिलाओं को साइबर अपराधों में ष्पीड़िताष् के रूप में देखा जाता रहा है– जैसे कि साइबर स्टॉकिंग, अश्लील सामग्री भेजना, या सोशल मीडिया पर उत्पीड़न। लेकिन अब महिलाओं की संलिप्तता बतौर अपराधी भी सामने आने लगी है, जिससे इस विषय को समाजशास्त्रीय दृष्टि से विश्लेषण करना अनिवार्य हो गया है। इस विषय को विभिन्न समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों के आधार पर बेहतर रूप से समझा जा सकता है, जो की इस प्रकार हैः

अनोमिक सिद्धांत (Durkheim)– "जब सामाजिक नियम विखंडित हो जाते हैं, तब व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। इंटरनेट की दुनिया में ऐसी दिशाहीनता महिलाओं को भी अपराध की ओर ले जा सकती है।"

लेबलिंग थ्योरी (Becker)– "जब किसी महिला को अपराधी के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो समाज उसके व्यवहार को उसी दृष्टि से देखने लगता है, जिससे वह उस भूमिका में और अधिक उलझ जाती है।"

संवेदनशीलता और नियंत्रण सिद्धांत (Hirschi)– "यदि महिला की समाज से जुड़ाव की डोर कमजोर हो जाए (जैसे परिवार, नौकरी, शिक्षा), तो वह अपराध के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है।"

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से महिलाओं की संलिप्तता–समाजशास्त्र यह मानता है कि अपराध केवल कानूनी उल्लंघन नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मूल्यों और व्यक्तिगत परिस्थितियों से जुड़ी हुई क्रिया है। महिलाओं की साइबर अपराधों में भागीदारी को निम्नलिखित समाजशास्त्रीय बिंदुओं से समझा जा सकता हैः

सामाजिक भूमिकाओं में बदलाव– आधुनिक समाज में महिलाएं अब पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकल कर डिजिटल और तकनीकी क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हो रही हैं। यह परिवर्तन न केवल सकारात्मक अवसरों की ओर ले गया है, बल्कि कुछ मामलों में अपराध के डिजिटल स्वरूपों में भी महिलाओं की भागीदारी को जन्म दे रहा है।

आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण– कई बार आर्थिक अभाव, बेरोज़गारी या सामाजिक दबाव महिलाओं को अपराध की ओर प्रेरित करता है। साइबर क्राइम अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला और तकनीकी रूप से ष्अनामष् अपराध होता है, जिससे कई महिलाएं इसकी ओर आकृष्ट होती हैं।

डिजिटल लिंग विभाजन– तकनीक तक महिलाओं की पहुँच अब भी पुरुषों की तुलना में सीमित है, लेकिन जिन महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्राप्त होती है, वे कभी–कभी इसे शक्ति के साधन की तरह इस्तेमाल करती हैं,भले ही वह सकारात्मक हो या नकारात्मक।

प्रतिशोध और भावनात्मक प्रतिक्रिया– कुछ महिलाएं साइबर अपराधों में निजी प्रतिशोध, भावनात्मक धोखे या रिश्तों में ठगे जाने के कारण लिप्त होती हैं। उदाहरण के लिए, पूर्व साथी को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग।

सांस्कृतिक मान्यताएं और नैतिक द्वंद्वरू– महिलाओं के अपराधों को समाज अक्सर अलग दृष्टिकोण से देखता है। उन्हें 'भटकी हुई', 'भावनात्मक रूप से कमजोर', या 'प्रेरित शिकार' कहा जाता है, जिससे अपराध के वास्तविक स्वरूप की अनदेखी हो जाती है।

मीडिया और महिला अपराधियों का प्रस्तुतीकरण– मीडिया समाज का दर्पण मात्र नहीं होता, बल्कि वह समाज के सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को गहराई से प्रभावित करता है। विशेषकर जब बात अपराध और अपराधियों की हो, तब मीडिया की रिपोर्टिंग शैली, भाषा और दृष्टिकोण सामाजिक पूर्वाग्रहों को या तो चुनौती देते हैं या उन्हें और गहरा कर देते हैं। महिला अपराधियों के संदर्भ में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या मीडिया उन्हें उसी तरह से प्रस्तुत करता है जैसे पुरुष अपराधियों को? प्रस्तुत शोध अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि मुख्यधारा मीडिया में महिला साइबर अपराधियों को किस प्रकार चित्रित किया जाता है, उनकी छवि किस रूप में गढ़ी जाती है, और क्या इन प्रस्तुतियों में कोई लैंगिक पूर्वग्रह निहित होता है या नहीं?

अतः उल्लेखित तथ्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा गया हैः

मीडिया की रिपोर्टिंग में लैंगिक दृष्टिकोण– महिला अपराधियों की मीडिया में प्रस्तुति सामान्यतः तीन प्रमुख प्रवृत्तियों में देखी जाती हैः

1. सहानुभूति आधारित प्रस्तुतिकरणः महिला को एक ष्मजबूरष् ष्प्रेम में ठगी गईष् या ष्भावनात्मक रूप से कमजोरष् व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। अपराध को अक्सर उसकी परिस्थितियों या पारिवारिक पृष्ठभूमि से जोड़ा जाता है, जिससे अपराध की गंभीरता कम हो जाती है।

2. रूढ़िगत चित्रणः चालाक स्त्री, प्रलोभन का जाल बिछाने वाली, या विनाशिनी जैसे चरित्रों में ढालना। महिला अपराधी को अपराध से अधिक उसके रूप, संबंधों और सामाजिक जीवन के आधार पर आँका जाता है।

3. सनसनीखेजी और चरित्र हननः मीडिया कभी–कभी महिला अपराधियों को सनसनी फैलाने के लिए हेडलाइनों में उभारता है, जैसे– "Facebook वाली फरेबी ब्यूटी", Cyber Queen turned Hacker", आदि। इस प्रकार की रिपोर्टिंग न केवल नैतिकता की सीमा तोड़ती है, बल्कि समाज की सोच को भी विकृत करती है।

रिपोर्टिंग में तुलनात्मक अंतर– पुरुष अपराधियों की रिपोर्टिंग अधिक तथ्यात्मक और कठोर होती है, जैसे–अपराध कब, कहाँ, कैसे हुआ, जबकि महिला अपराधियों के मामले में व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, पहनावा, और मानसिक स्थिति पर अधिक जोर दिया जाता है।

मीडिया नैतिकता और जिम्मेदारी– मीडिया का कार्य है निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना, न कि किसी की छवि को नकारात्मक ढंग से गढ़ना। जब महिला अपराधियों के प्रति भाषा और दृष्टिकोण भिन्न होता है, तो वह लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। यह न केवल न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका के प्रति बनी धारणाओं को भी विकृत करता है।

शोध की आवश्यकता– साइबर क्राइम में महिलाओं की भूमिका पर सीमित शोध उपलब्ध है।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

- मीडिया रिपोर्टिंग में लैंगिक पूर्वाग्रह की संभावनाओं को समझना आवश्यक है।
- यह विषय समाजशास्त्र, मीडिया अध्ययन और क्रिमिनोलॉजी जैसे क्षेत्रों को जोड़ता है।
- इस शोध से मीडिया की जिम्मेदारी और सामाजिक चेतना के बीच संबंध की पड़ताल की जा सकेगी।

शोध के उद्देश्य–

- यह समझना कि महिलाएं किस प्रकार के साइबर अपराधों में संलिप्त पाई जाती हैं।
- महिला अपराधियों के व्यवहार के पीछे के सामाजिक, मानसिक और आर्थिक कारणों का विश्लेषण।
- मुख्यधारा मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल) द्वारा महिला साइबर अपराधियों की रिपोर्टिंग प्रवृत्तियों का अध्ययन।
- मीडिया में मौजूद संभावित लैंगिक पूर्वाग्रह (हमदकमत इपें) की पहचान और विश्लेषण।

शोध प्रश्न –

- महिलाएं किस प्रकार के साइबर अपराधों में अधिक लिप्त होती हैं?
- क्या मीडिया महिला अपराधियों को पुरुषों की तुलना में अलग दृष्टि से प्रस्तुत करता है?
- क्या मीडिया रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता या सनसनी का अधिक प्रभाव है?
- मीडिया की प्रस्तुति समाज में महिला अपराधियों के प्रति किस प्रकार की धारणा बनाती है?

शोध प्रविधि –

- शोध का प्रकारः गुणात्मक (फनंसपजंजपअम)
- डेटा संग्रह के स्रोतः समाचार पत्र (जैसे– दैनिक भास्कर, नवभारत, हरिभूमि आदि), ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स (जैसेः जागरण समाचार, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स आदि), केस स्टडीज़ (वास्तविक मामलों पर आधारित)
- डेटा संग्रह विधिः कंटेंट विश्लेषण (Content Analysis) और केस स्टडी विधि
- अवधिः 2023–2024 के बीच रिपोर्ट की गई घटनाओं का विश्लेषण

केस स्टडीज़ और समाचार रिपोर्टों का विश्लेषण– साइबर अपराधों में महिलाओं की संलिप्तता को समझने और मीडिया द्वारा उसके प्रस्तुतिकरण की प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए चयनित केस स्टडीज़ और समाचार रिपोर्टों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन में उन वास्तविक घटनाओं और मीडिया रिपोर्टों का विश्लेष्ण किया गया है, जिनमें महिलाएं साइबर अपराधों में आरोपी रही हैं। इन विश्लेषणों के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि कैसे मीडिया ने इन मामलों को प्रस्तुत किया, किन शब्दों और रूपकों का उपयोग किया, और क्या उसमें कोई लैंगिक पूर्वाग्रह परिलक्षित होता है या नही?

केस स्टडी 1– बिलासपुर में डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से सेक्सटॉर्शन (₹8.45 लाख)

मामलाः एक महिला को ठगों ने क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर गलत आरोप लगाए (अश्लील सामग्री देखने के आरोप), 'डिजिटल अरेस्ट' की धमकी देकर ₹8.45 लाख वसूल लिए Dainik BhaskargfjHkwfe$8dainikjagranmpcg-com$8vkt rd$8-

मीडिया रिपोर्टिंग में प्रवृत्तिः रिपोर्टों में डर और भावनात्मक दायित्व को प्रमुखता मिलती है; महिला की पहचान या मानसिक स्थिति पर ज़ोर दिया जाता है। अपराध की तकनीकी प्रकृति पर कम ध्यान दिया गया।

केस स्टडी 2– रायपुर में ₹58 लाख की ठगी (मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप)

मामलाः ठगों ने एक विधवा महिला को आधार दुर्व्यवहार और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी होने का डर दिखाकर ₹58 लाख वसूल लिए, और उसे 24 घंटे तक "डिजिटल अरेस्ट" में रखा गया Dainik Bhaskar-

रिपोर्टिंग प्रवृत्तियाँः मीडिया ने महिला को दुखद परिस्थिति में दिखाया; पत्रों, वर्दी और अधिकारिकता पर जोर दिया गया।

केस स्टडी 3– रायपुर की महिला से ₹2.83 करोड़ की अंतरराज्यीय साइबर ठगी

मामलाः आरोपी दिल्ली साइबर सेल का दावा कर वॉट्सऐप वीडियो कॉल पर "डिजिटल अरेस्ट" का अभिनय करके ₹2.83 करोड़ की ठगी करते रहे; बाद में उत्तर प्रदेश से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया Dainik Bhaskar$1The Sootr$1.

रिपोर्टिंग प्रवृत्तिः समाचार में पुलिस कार्रवाई और संख्या तथ्यों पर ज़ोर था, लेकिन महिला पीड़िता के व्यक्तिगत रूप या भावनात्मक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया।

केस स्टडी 4– बलौदाबाज़ार की डिजाइनर महिला से ₹3.48 लाख ठगी

मामलाः एक इंटीरियर डिजाइनर से मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप के माध्यम से ₹3.48 लाख वसूले गए, जिसमें आरोपी ने आरबीआई अधिकारी होने का दावा किया Navbharat Times$2gfjHkwfe$2Navbharat Times$2.

रिपोर्टिंग प्रवृत्तिः रिपोर्ट में महिला की पेशेवर पृष्ठभूमि का उल्लेख था, लेकिन यह तथ्यात्मक था और भावनात्मक फ्रेमिंग न के बराबर थी।

केस स्टडी 5– बिलासपुर कृ न्यूड वीडियो ब्लैकमेलिंग ख़त्म पैसे की डिमांड

विवरण– एक गृहिणी से ₹9 लाख ठगे गए, फिर उससे न्यूड वीडियो बनवा कर ब्लैकमेल किया गया; पति के फोन पर भेज कर ₹5 लाख मांग की गई Dainik BhaskarA

रिपोर्टिंग प्रवृत्तिः यह रिपोर्ट महिला–पीड़िता को भावनात्मक रूप से असहाय, डर और शर्म से जुड़ा हुआ प्रस्तुत करती है। अपराध की तकनीकी पहलुओं पे कम ध्यान दिया गया। यह संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण फ्रेमिंग को दिखाता है Dainik BhaskarA

केस स्टडी 6: जांजगीर कृ म्यूल खाता धारक से ₹31.49 लाख ट्रांसफर

विवरणः महिला सहित छह म्यूल अकाउंट धारकों को गिरफ्तार किया गया, ₹31.49 लाख की ट्रांजेक्शन पकड़ी गई; यह समर्थन ठगी के लिए खाता उपलब्ध कराने वाली भूमिका थी Dainik Bhaskar$3Amar Ujala$3swadesh$3A

रिपोर्टिंग प्रवृत्ति: रिपोर्ट विवरणप्रधान थी कृ अपराध के नेटवर्क, ठगी की राशि, बैंक खातों की भूमिका। महिला पीड़िता कम और महिला बैंक खाता धारक संदिग्ध बनी कृ तथ्यात्मक रिपोर्टिंग लेकिन लैंगिक दृष्टि से विशेष प्रवृत्ति नहीं देखी गई

केस स्टडी 7– जांजगीर–चांपारू सगाई से दो दिन पहले हनी ट्रैप और फिरौती (₹17 लाख)

विवरणः किशन साहू (26) की दोस्ती आयशा बेगम से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। तीन दिनों में प्रेम संबंध गढ़ा गया। युवती ने खेत में बुलाकर आरोपी युवक को बंदी बना लिया और ₹17 लाख की फिरौती माँगी। आरोपियों ने भाई–पिता को धमकी दी कि न देने पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करेंगे। पुलिस ने छह घंटे में किशन को बरामद किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया Navbharat Times$11Dainik Bhaskar$11NPG News$11A

मीडिया रिपोर्टिंग प्रवृत्तिः प्रेम संबंध को आधार बनाकर, एक "प्रेम जाल" की फ़्रेमिंग की गई। युवती को सनसनीखेज और चालाक बताया गया। आरोपियों में महिला की प्रमुख भूमिका उजागर की गई। मुख्य रूप से संवेदनशील और सनसनी पर आधारित फ्रेम प्रमुख थी Dainik BhaskarNavbharat TimesNPG NewsA

केस स्टडी : बलोदाबाजार रवीना टंडन हनी ट्रैप गिरोह

विवरणः पुष्पमाला फेकर, लक्ष्मीकांत केसरवानी, हीराकली सहित गिरोह ने व्यवसायियों, अधिकारियों को फंसाया। महिलाओं की मदद से आपत्तिजनक फ़ोटो/वीडियो बनाकर फिरौती वसूली की गई। कुल वसूल ₹41 लाख तक पहुँची NPG News$2NPG News$2Bansal news$2A

मीडिया रिपोर्टिंग प्रवृत्तिः केस को बड़े पैमाने पर बताया गया, जिसमें विभिन्न पेशेवरों को टारगेट किया गया। महिला साख, पैसे वाले अकेले पुरुषों को प्रमुख लक्ष्य बताया गया। हालांकि मीडिया ने गिरोह की संरचना पर आधारित रिपोर्टिंग की, फिर भी आरोपियों को नाटकीय और चरित्र–आधारित फ़्रेमिंग के माध्यम से चित्रित किया गया ABP News$14Bans

केस स्टडी 9– कोरबा प्रेम जाल से हत्या तक

विवरणः झारखंड का युवक वसीम अंसारी हनी ट्रैप के जाल में फँसाया गया और उसकी हत्या कर दी गई, शव के 20 टुकड़े किये गए। आरोपी राजा खान और किशोरी गिरफ्तार किए गए Dainik Bhaskar$8Jagran$8Bansal news$8A

मीडिया रिपोर्टिंग प्रवृत्तिरू इस मामले में अत्यधिक हिंसा शामिल थी, इसलिए संवेदनशील रिपोर्टिंग की गई। महिला की भूमिका पर चर्चा की गई, लेकिन अपराध की तकनीक और हिंसा की भयावहता पर ज़्यादा जोर दिया गया। गंभीर और तथ्यात्मक फ्रेमिंग, लैंगिक विश्लेषण की सीमित प्रवृत्ति मीडिया प्रस्तुतिकरण का अंतर्वस्तु विश्लेष्ण–

केस स्टडी	केस विवरण	रिपोर्टिंग शैली	लैंगिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति
केस स्टडी-1 (जनवरी 2024) बिलासपुर डिजिटल अरेस्ट	क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर ठगी	सहानुभूतिपूर्ण, भावनात्मक	महिला की निजी स्थिति पर जोर
केस स्टडी-2 रायपुर डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग (सितम्बर 2023)	मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी होने का डर दिखाकर	महिला की बुरी परिस्थिति का विवरण	महिला विवरण सीमित
केस स्टडी-3 रायपुर (मार्च 2024) डिजिटल अरेस्ट	डिजिटल अरेस्ट का अभिनय करके ₹2.83 करोड़ की ठगी	भावनात्मक पक्ष	महिला-पीड़िता पर जोर
केस स्टडी-4 (मार्च 2024) बलौदाबाज़ार डिजिटल अरेस्ट	मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप	विस्तृत, नेटवर्क विश्लेषणीय	महिला का पेशेवर विवरण अधिक
केस स्टडी-5 बिलासपुर ब्लैकमेलिंग (फरवरी 2024)	न्यूड वीडियो बनवा कर ब्लैकमेल किया	सामाजिक भय, शर्म,	महिला के इज्जत का भय
केस स्टडी-6 (जून 2024) जांजगीर ठगी	महिला सहित छह म्यूल अकाउंट धारकों को गिरफ्तार किया	गिरोह में महिला की संलिप्तता पर जोर	महिला को बताया ठग, चोर
केस स्टडी-7 (जून 2024) जांजगीर-चांपा झूठे प्रेम जाल की साजिश	सोशल मीडिया में दोस्ती, तीन दिनों में प्रेम संबंध गढ़ा, युवती ने खेत में बुलाकर आरोपी युवक को बंदी बना लिया	ऑनलाइन प्रेम सबंध का झूठा जाल	महिला को बताया झूठी प्रेमिका, धोकेबाज
केस स्टडी-8 (मई 2024) बलौदाबाज़ार हनी ट्रेप	महिलाओं की मदद से, गिरोह ने व्यवसायियों, अधिकारियों को फंसाया।	हनी ट्रेप का गोरख धंधा	**नाटकीय और चरित्र-आधारित फ्रेमिंग**
केस स्टडी-9 (जुलाई 2023) कोरबा हनी ट्रेप में प्रेम जाल और हत्या	हनी ट्रैप के जाल में फँसाया गया और उसकी हत्या कर दी गई, शव के 20 टुकड़े किये गए।	हनी ट्रेप में प्रेम जाल और हत्या	तकनीक और हिंसा की भयावहता पर ज़्यादा जोर दिया गया। **गंभीर और तथ्यात्मक फ्रेमिंग**, लैंगिक विश्लेषण की सीमित प्रवृत्ति रही

निष्कर्ष–साइबर अपराध की बदलती प्रकृति ने न केवल तकनीकी पहलुओं को जटिल बनाया है, बल्कि इसमें लिंग आधारित भूमिकाओं और मीडिया के प्रस्तुतीकरण की भी नई परतें जोड़ी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न मामलों के गहन विश्लेषण के पश्चात निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैंरू

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

1. महिलाओं की भूमिका बहुआयामी होती जा रही है, महिलाएँ अब सिर्फ पीड़िता ही नहीं, बल्कि आरोपी, मददगार, या मुख्य योजनाकार के रूप में भी सामने आ रही हैं। कई मामलों में महिलाओं ने साइबर ठगी, हनी ट्रैप, और डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी दिखाई।
2. प्रेम–संबंध व भावनात्मक जुड़ाव का दुरुपयोग अधिकांश ष्हनी ट्रैपष या ष्डिजिटल अरेस्टष जैसे मामलों में भावनात्मक और सामाजिक विश्वास को हथियार बनाया गया। पुरुषों को प्रेम के झांसे में फँसाकर ब्लैकमेल किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लिंग आधारित साइबर रणनीतियाँ भी विकसित हो रही हैं।
3. मीडिया रिपोर्टिंग में लैंगिक असंतुलन छोटे और व्यक्तिगत ठगी के मामलों में मीडिया ने महिला को भावनात्मक, शोषित या दुःखी पात्र के रूप में प्रस्तुत किया। जबकि बड़े आर्थिक अपराधों या संगठित ठगी मामलों में रिपोर्टिंग अपेक्षाकृत तथ्यात्मक, पुलिस–केंद्रित, और महिला की पहचान से दूर रही।
4. महिला अपराधियों को सनसनीखेज ढंग से चित्रित किया गया "प्रेम–जाल", "हनी ट्रैप गैंग", "रवीना टंडन गिरोह" जैसे शब्दों का उपयोग कर मीडिया ने महिला अपराधियों की भूमिका को नाटकीय और आकर्षक बनाया। इससे लिंग आधारित पूर्वग्रह और मीडिया नैतिकता पर भी प्रश्न उठते हैं।
5. प्रस्तुतीकरण का प्रभाव सामाजिक दृष्टिकोण पर पड़ता है मीडिया के माध्यम से महिला साइबर अपराधियों की छवि अक्सर एकतरफा और लक्षणात्मक रूप में बनी है, जिससे समाज में महिलाओं के प्रति विश्वास सहानुभूति दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
6. महिला साइबर अपराधियों के मीडिया प्रस्तुतिकरण में स्पष्ट रूप से लैंगिक भेदभाव और पूर्वग्रह दिखाई देते हैं। मीडिया का यह दायित्व बनता है कि वह अपराध की वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करे, न कि अपराधी की लैंगिक पहचान के आधार पर उसकी छवि गढ़े।

सुझाव– प्रस्तुत शोध ष्साइबर क्राइम में महिलाओं की संलिप्तता और मुख्यधारा मीडिया की रिपोर्टिंग प्रवृत्तियाँ ष पर आधारित सुझाव प्रस्तुत है–

- मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए जाएँ– समाचार माध्यमों को चाहिए कि वे महिला आरोपियों या पीड़िताओं को लेकर सनसनी फैलाने वाली भाषा और लैंगिक पूर्वाग्रह से बचें। प्रेस काउंसिल या मीडिया नियामक संस्थाएँ स्पष्ट आचार संहिता तैयार करें, जिससे महिला–संबंधित साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग अधिक निष्पक्ष और जिम्मेदार बन सके।
- महिलाओं के लिए साइबर शिक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाए जाएँ– महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा, डाटा प्राइवेसी, सोशल मीडिया खतरे, और कानूनी अधिकारों की जानकारी देने हेतु राज्य स्तर पर नियमित कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ। स्कूली, महाविद्यालयीन व शहरी–ग्रामीण स्तर पर साइबर सुरक्षा शिक्षा अनिवार्य की जाए।
- महिला अपराधियों की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग हो– महिला साइबर अपराधियों के मानसिक, सामाजिक, और आर्थिक कारकों का अध्ययन किया जाए ताकि अपराध के पीछे के मूल कारणों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इस विश्लेषण से पुनर्वास कार्यक्रम और निवारक रणनीतियाँ बनाना आसान होगा।
- साइबर क्राइम सेल में लैंगिक संतुलन बढ़े– पुलिस और साइबर जांच एजेंसियों में महिला अधिकारियों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, ताकि पीड़िता या महिला आरोपी दोनों से संवेदनशील और समझदारीपूर्ण तरीके से संवाद हो सके।
- हनी ट्रैप और डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों के लिए विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनें– ऐसे मामलों के लिए स्पेशल साइबर यूनिट्स गठित की जानी चाहिए जो इन अपराधों की तेजी से जांच और पीड़ित की गोपनीयता सुनिश्चित करें।
- जनजागृति अभियानों में लिंग–संवेदनशीलता– सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों को साइबर अपराध के विरुद्ध चलने वाले अभियानों में लैंगिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से शामिल करना चाहिए। यह आवश्यक है कि महिला अपराधियों को विशेष मामला न मानते हुए उन्हें विधिक और समाजशास्त्रीय संतुलन में देखा जाए।
- शोध और डाटा संग्रह को प्रोत्साहन– छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महिला साइबर अपराध पर अधिक शैक्षणिक शोध और डाटा संग्रह की आवश्यकता है, जिससे भविष्य की नीतियाँ ठोस आंकड़ों के आधार पर बन सकें।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. त्रिपाठी, के. (2018). साइबर अपराध और भारतीय विधि व्यवस्था. इलाहाबाद, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
2. सिंह, वी. (2019). भारतीय समाज में महिला अपराध, स्वरूप और चुनौतियाँ. नई दिल्लीरू अजय प्रकाशन।
3. पांडेय, आर. (2020). मीडिया और महिला, चित्रण एवं यथार्थ. वाराणसीरू भारती पब्लिशर्स।
4. जोशी, ए. (2021). साइबर क्राइम, समस्या और समाधान. भोपाल, यश पब्लिकेशन्स।
5. मिश्रा, एस. (2022). महिला और अपराध, समाजशास्त्रीय विश्लेषण. लखनऊरू पब्लिकेशन इंडिया।
6. गुप्ता, एल. (2017). नारी, अपराध और मीडिया. जयपुर, साहित्य संसार प्रकाशन।
7. शर्मा, डी. (2023). साइबर अपराध में महिलाओं की भूमिका. दिल्ली, नवभारत प्रकाशन।
8. Sharma, K. (2018). Women and Media: A Gendered Perspective. Rawat Publications.
9. Mathur, K. (2020). Gendered Representations in Media: Challenges and Perspectives. Oxford University Press.

समाचार पोर्टल्स (Web Articles)

10. Bhaskar News. (2025, June 13). Engagement से पहले युवक हनी ट्रैप में फंसा, ₹17 लाख की मांग. Dainik Bhaskar. https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/janjgir/news/a-young-man-got-caught-in-a-honey-trap-2-days-before-his-engagement-135227988.html
11. Amar Ujala. (2025, July 4). जांजगीरः साइबर फ्रॉड मामले में महिला सहित छह गिरफ्तार. Amar Ujala. https://www.amarujala.com/chhattisgarh/police-arrested-six-accused-of-cyber-fraud-in-janjgir-2025-07-04
12. Jagran News. (2023, July 18). हनी ट्रैप में युवक की हत्या, शव के 20 टुकड़े किए गए. Dainik Jagran. https://www.jagran.com/chhattisgarh/raipur-jharkhand-youth-becomes-victim-of-honey-trap-in-chhattisgarh-cut-into-20-pieces-23757461.html
13. NPG News. (2024, May 22). 'रवीना टंडन' हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश. NPG News. https://npg.news/chhattisgarh/cg-honey-trap-case-another-female-accused-arrested-used-to-blackmail-rich-people-by-luring-them-1274712